कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/यूजी0–2022/2732 लखनऊ:दिनांक 25 नवम्बर, 2022

यू0पी0नीट यू0जी0–2022–23 की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन/पुनरावंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश–प्रकिया पूर्ण किये हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

1. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटित/पुनरावंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।

2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटों पर आवंटित/पुनरावंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टरो पर करायी जायेगी।

3. निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल की सीटों हेतु शासन द्वारा निर्धारित एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क तथा निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजो हेतु कालेज प्रबन्धन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैक ड्राफ्ट, जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, लिया जायेगा।

4. राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो के शिक्षण शुल्क का विवरण इस कार्यालय की विभागीय वेबसाइट dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।

5. पुनरावंटन के पश्चात् आवंटित कालेज एवं प्रथम चक्र मे आवंटित कालेज के शिक्षण–शुल्क में यदि किसी प्रकार की भिन्नता अर्थात् शिक्षण शुल्क कम होता है, तो अधिक जमा किये गये शिक्षण शुल्क आवंटित कालेज को प्रेषित कर दी जायेगी, जो कालेज द्वारा कालेज की हास्टल/सिक्योरिटी शुल्क मे समायोजित कर ली जायेगी तथा यदि कालेज का शिक्षण शुल्क अधिक होता है, तो अन्तर की धनराशि (Difference Amount) का बैंक ड्राफ्ट प्रवेश हेतु निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा किया जायेगा।

6. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय निम्नांकित अभिलेख मूलरूप मे प्रस्तुत करना अनिवार्य है:–
   1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र
   2. आरक्षण से संबंधित प्रमाण–पत्र
   3. डोमिसाइल प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
   4. नीट–2022 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड
   5. आई0डी0
   6. आवंटन–पत्र

   आवंटन पत्र, शिक्षण शुल्क की रसीद, आरक्षण से संबंधित प्रमाण–पत्र/आई0डी0 (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत) इत्यादि का परीक्षण मूल अभिलेखो से करते हुए मूल अभिलेख जमा कराये जायेंगे।

7. प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी, जिन्होंने द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग नहीं किया गया है अथवा प्रतिभाग करने पर उन्हें कोई भी पुनरावंटन नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी संबंधित कालेज मे अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत किया जायेगा।

8. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हे प्रथम चक्र काउंसिलिंग से आवंटन हुआ था एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी थी तथा द्वितीय चक्र काउंसिलिंग में पुनः प्रवेशित कालेज/सीट की च्वाईस फिल कर दी गयी है और उन्हें दिनांक 25.11.2022 घोषित द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के परिणाम से पुनः उसी सीट पर आवंटन प्राप्त हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः राजकीय/स्वशासी/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर पुनः प्रवेश किया पूर्ण करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

महानिदेशक।